राजस्थान सरकार

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक – प.3(54)नविवि/3/2011 पार्ट

जयपुर, दिनांक 8 FEB 2013

1. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम (समस्त), राजस्थान।
6. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)

विषय :- प्रशासन शहरों के संग अभियान–2012 के दौरान आ रही कठिनाईयों के निराकरण के क्रम मे मार्ग–दर्शन/शिथिलन बाबत

संदर्भ :- विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011–पार्ट जयपुर दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 2 मे यह निर्देश दिये गये थे कि गृह निर्माण सहकारी समिति आदि की योजनाओं में मानचित्र में दर्शायें गये भूखण्ड की माप से मौके पर भूखण्ड का क्षेत्रफल बढा हुआ पाया जावे तो भूखण्ड की माप से मौके पर 10 प्रतिशत तक बढे हुए क्षेत्रफल का नियमन सामान्य नियमन दर पर एवं 10 प्रतिशत से अधिक बढे हुए क्षेत्रफल को योजना की आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि लेकर नियमन किया जावे।

अब यह निर्णय लिया गया है कि विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 11.12.2012 के बिन्दु संख्या 2 के प्रावधान निजी विकासकर्ता/खातेदार द्वारा विकसित की गयी योजनाओं के भूखण्डों पर भी लागू होंगे।

अतः निजी विकासकर्ता/खातेदारों द्वारा विकसित की गयी योजनाओं में मानचित्र में दर्शायें गये भूखण्ड की माप से मौके पर भूखण्ड का क्षेत्रफल बढा हुआ पाया जावे तो भूखण्ड की माप से मौके पर 10 प्रतिशत तक बढे हुए क्षेत्रफल का निमयन सामान्य नियमन दर पर एवं 10 प्रतिशत से अधिक बढे हुए क्षेत्रफल को योजना की आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि लेकर नियमन किया जावे।

आज्ञा से

(एन.एल.मीना)

शासन उप सचिव–तृतीय